सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 96/2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

जयनारायण सिंह पुत्र स्व. रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मेहरूकंला तह.सावर जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. हरनारायण पुत्र स्व.रघुवीर सिंह
2. महेन्द्र कंवर पुत्री स्व.रघुवीर सिंह
3. उच्छवकेंवर पुत्री स्व.रघुवीर सिंह
4. दुर्गेश कंवर पुत्री स्व.रघुवीर सिंह
5. उम्मेद कंवर पुत्री स्व.रघुवीर सिंह
6. संजय कंवर पुत्री स्व.रघुवीर सिंह
7. शिवकंवर बेंवा सत्यनारायण सिंह
8. कुलदीप सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह
9. प्रतापसिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह
10. प्रवीण सिंह सत्यनारायण सिंह
11. नटवरकंवर पुत्री सत्यनारायण सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासीगण मेहरूकंला तहसील सावर जिला अजमेर
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण–––

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188,92ए,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–25.05.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प मोलकिया में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा **53,88,188,92ए,209** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके मेंहरूकंला तहसील सावर जिला अजमेंर में स्थित जमाबन्दी स 2072–75 में खाता स. 766 कुल किता खसरा नम्बर 11 कुल रकबा 32.51 है. भूमि जो कि श्री रघुवीरसिंह पुत्र नन्द सिंह राजपूत के नाम दर्ज खातेदारी है। जो वर्तमान में वादी व प्रतिवादी स. 1 लगायत 11 के कब्जे काश्त व स्वामित्व में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी का पूर्व में जर्ये रजिस्टर्ड बंटवारा नामा सें वादग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा भी दर्ज है। जर्ये रजिस्टर्ड बंटवारा नामा का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हेतु राजस्व अधिकारियों से कई बार निवेदन करने पर भी नामान्तकरण आदि की कार्यवाही नहीं की गई है जिसके कारण वादी ने यह दावा पेश किया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया । प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरसिंह राठौड ने पावर व इकबाले जवाब पेश किया है। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली केम्प कोर्ट मोलकिया में पेश हुयी। जहा उपस्थित पक्षकारान को सुना गया । प्रतिवादीगण ने वादी का दावा स्वीकार कर पूर्व के जर्ये रजिस्टर्ड बंटवारा नामा के अनुसार बंटवारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया । जिससे वाद का संतुलन वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है तथा वादी का दावा प्रेमा फैसाई केस होना पाया जाता है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि मेंहरूकंला तहसील सावर जिला अजमेंर में स्थित जमाबन्दी सं2072–75 में खाता स. 766 कुल किता खसरा नम्बर 11 कुल रकबा 32.51 है. भूमि में पूर्व के रजिस्टर्ड बंटवारानामा के अनुसार वादी एंव प्रतिवादीगण में बंटवारा किये जाने हेतु वादी का दावा डिक्री किया जाता है तहसीलदार सावर को वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक पूर्व के रजिस्टर्ड बंटवारानामा अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी